



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 354]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.आ. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20 के अनुसरण में भारत में दो वर्षों के लिए आयातित किए जाने वाले कोलमानाइट के कृषि में उपयोग हेतु भारत में इसके विक्रय के प्रयोजन से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित विनिर्देशन करती है :—

कोलमानाइट

विनिर्देशन :

भार के आधार पर बोरॉन (बी के रूप में) का न्यूनतम, प्रतिशत	11.0
भार के आधार पर सोडियम (एनएसीएल के रूप में) का अधिकतम, प्रतिशत	0.5
भार के आधार पर सीसा (पीबी के रूप में) का अधिकतम, प्रतिशत	0.003
भार के आधार पर तांबा (सीयू के रूप में) का अधिकतम, प्रतिशत	0.1
भार के आधार पर आर्सेनिक (एएस के रूप में) का अधिकतम, प्रतिशत	0.01
भार के आधार पर कैडमियम (सीडी के रूप में) का अधिकतम, प्रतिशत	0.0025
भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम, प्रतिशत	6.50

[फा. सं. 2-2/2012-उर्व. विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 381(E).—In pursuance of clause 20 of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby fixes the specifications of Colemanite to be imported into India for period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the purpose of sale of the same in India, for use in agriculture, namely :—

Colemanite

Specifications :

Boron (as B) per cent by weight, minimum	11.0
Sodium (as NaCl) per cent by weight, maximum	0.5
Lead (as Pb) per cent by weight, maximum	0.003
Copper (as Cu) per cent by weight, maximum	0.1
Arsenic (as As) per cent by weight, maximum	0.01
Cadmium (as Cd) per cent by weight, maximum	0.0025
Moisture per cent by weight, maximum	6.50

[F. No. 2-2/2012-Fert. Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.